सत्र वाद सं0– 875/2010
शाहकुंड थाना कांड संख्या– **100/1997**
राज्य बनाम् बादल राय व दो अन्य
निर्णय दिनांक–01.06.2026

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–**III**
भागलपुर।

निर्णय दिनांक – 01.06.2026

सत्र वाद संख्या – **875**/2010

शाहकुंड थाना कांड संख्या– **100**/1997

अंतर्गत धारा – 399, 402, 353, 307, 149 भा0द0वि0

निबंधन संख्या – **875**/2010

बिहार राज्य द्वारा सूचक अ0नि0 आर0आर0 पाण्डेय, थाना प्रभारी, शाहकुंड जिला–भागलपुर.....**सूचक**

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक :– श्री काशीनाथ मिश्रा।

बनाम्

1. बादल राय, उम्र–52 वर्ष, पिता स्वर्गीय सत्यनारायण राय, साकिन–भवनाथपुर, थाना–अकबरनगर, जिला–भागलपुर।
2. पंकज मंडल, उम्र–50 वर्ष, पिता–स्वर्गीय किशोरी मंडल, साकिन–मनसरपुर, थाना–अमरपुर, जिला–बांका।
3. संजीव कुमार चौधरी, उम्र–50 वर्ष, पिता–स्वर्गीय रामवरण चौधरी, साकिन–डिमाहा, थाना–गोपालपुर, जिला–भागलपुर।.....**अभियुक्तगण**

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री सुदामा मोदी।

घटना की तिथि	03.12.1997
प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि	03.12.1997
आरोप पत्र की तिथि	30.01.1998
आरोप गठन की तिथि	09.12.2010
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	23.09.2022
तिथि जिसके द्वारा निर्णय हेतु रखा गया	27.05.2026
निर्णय की तिथि	01.06.2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	

सत्र वाद सं0– 875/2010
शाहकुंड थाना कांड संख्या– **100/1997**
राज्य बनाम् बादल राय व दो अन्य
निर्णय दिनांक–01.06.2026

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

अभियुक्त का क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत प्राप्ति की तिथि	आरोप अंतर्गत धारा	दोषमुक्त/दोषसिद्ध	सजा की अवधि	विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि
1.	बादल राय	–	–	399, 402, 353, 307, 149 भा0द0वि0	दोषमुक्त	–	–
2.	पंकज मंडल	–	–	399, 402, 353, 307, 149 भा0द0वि0	दोषमुक्त	–	–
3.	संजीव कुमार चौधरी	–	–	399, 402, 353, 307, 149 भा0द0वि0	दोषमुक्त	–	–

क. अभियोजन गवाह :–

क्रम सं0	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सीय गवाह, पंच, इत्यादि)
PW1	प्रभु नारायण शर्मा	**होमगार्ड**
PW2	मनोज कुमार सिंह	**दफादार**

ख. बचाव पक्ष के गवाह (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सीय गवाह, पंच, इत्यादि)
	शून्य	

ग. न्यायालय गवाह (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सीय गवाह, पंच, इत्यादि)
	शून्य	

अभियोजन प्रदर्श :– शून्य

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	1	जप्ती सूची का लिखावट एवं हस्ताक्षर
2.	2	स्वलिखित ब्यान का लिखावट एवं हस्ताक्षर

बचाव पक्ष प्रदर्श (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	शून्य	

सत्र वाद सं0– 875/2010
शाहकुंड थाना कांड संख्या– **100/1997**
राज्य बनाम् बादल राय व दो अन्य
निर्णय दिनांक–01.06.2026

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

न्यायालय प्रदर्श (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	शून्य	

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त बादल राय, पंकज मंडल तथा संजीव कुमार चौधरी का विचारण भा0द0वि0 की धारा 399, 402, 353, 307, 149 के आरोपों के लिए किया गया है कि दिनांक–03.12.1997 को थाना पर गुप्तचर के द्वारा सूचित किया गया कि अपराधी लोग आठ–नौ की संख्या में डोहराडीह बहियार के पास बैठा हुआ है और फसल लूटने की योजना बना रहे है। उक्त सूचना पर बड़ा बाबु एवं अन्य दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुॅचे तो बदमाश लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। उसके बाद रपेटा–रपेटी में चार–पॉच लोग पकड़ाया और वहॉ पर देखा कि बीड़ी–सिगरेट पड़ा हुआ था, जिसका जप्ती सूची रामरेखा पांडेय शाहकुड थाना के थानाध्यक्ष के द्वारा तैयार किया गया और उक्त जप्ती सूची का कॉपी अभियुक्तों को दिया गया।

2. सूचक अ0नि0 आर0 आर0 पाण्डेय, थाना प्रभारी शाहकुंड के द्वारा दिनांक–03.12.1997 को स्वलिखित ब्यान दिया गया जिसके आधार पर शाहकुंड थाना कांड संख्या–100/1997 दिनांक–03.12.1997 अन्तर्गत धारा 399/402/307 भा0द0वि0 के तहत पंजीकृत किया गया। स्वलिखित ब्यान के आलोक में अभियोजन का संक्षेप में वाद यह है कि दिनांक–03.12.1997 को थाना पर गुप्तचर के द्वारा सूचित किया गया कि अपराधी लोग आठ–नौ की संख्या में डोहराडीह बहियार के पास बैठा हुआ है और फसल लूटने की योजना बना रहे है। उक्त सूचना पर बड़ा बाबु एवं अन्य दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुॅचे तो बदमाश लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। उसके बाद रपेटा–रपेटी में चार–पॉच लोग पकड़ाया और वहॉ पर देखा कि बीड़ी–सिगरेट पड़ा हुआ था, जिसका जप्ती सूची रामरेखा पांडेय शाहकुड थाना के थानाध्यक्ष के द्वारा तैयार किया गया और उक्त जप्ती सूची का कॉपी अभियुक्तों को दिया गया।

3. अनुसंधानोंपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी नामित अभियुक्त सुरेन कुमार राय उर्फ सुरेन्द्र राय, रामकुंज सिंह, बादल राय, पंकज मंडल तथा संजीव कुमार चौधरी के विरूद्ध धारा 399/402/307/353 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या–06/1998 दिनांक–30.01.1998 को विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भागलपुर के न्यायालय में समर्पित किया गया जिसपर विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भागलपुर द्वारा अपराध का संज्ञान दिनांक–03.02.1998 को लिया गया तथा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, भागलपुर द्वारा दिनांक–24.07.2010 को उपस्थित अभियुक्तगण के विरूद्ध वाद को सत्र न्यायालय को दौरा सुपुर्द किया गया। स्थानांतरण के क्रम में अभिलेख विचारण एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

4. अभियुक्तगण को धारा 399, 402, 353, 307, 149 के आरोपों के लिए दिनांक–09.12.2010 को आरोप गठन करके हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसे अभियुक्तगण द्वारा इंकार किया गया एवं वाद में विचारण का दावा किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत की गई।

5. अभियोजन साक्ष्य बंद करने के पश्चात् अभियुक्तगण बादल राय, पंकज मंडल तथा संजीव कुमार चौधरी का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत लेखबद्ध किया गया जिसमें उन्होंने स्वंय को निर्दोष बताया है तथा कहा है कि झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष की ओर

सत्र वाद सं0– 875/2010

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

शाहकुंड थाना कांड संख्या– **100/1997**
राज्य बनाम् बादल राय व दो अन्य
निर्णय दिनांक–01.06.2026

से सफाई में कोई भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

7. वाद विचारण के दौरान दो अभियुक्त सुरेन कुमार राय उर्फ सुरेन्द्र राय तथा रामकुंज सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अतः उक्त दोनों अभियुक्त के विरूद्ध वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। अब इस वाद में तीन अभियुक्त बादल राय, पंकज मंडल तथा संजीव कुमार चौधरी वाद विचारण चल रहा है।

मंतव्य

8. प्रस्तुत वाद में अभियोजन के तरफ से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कुल दो साक्षियों का परीक्षण कराया गया है।

अभियोजन साक्षी सं0–01 प्रभु नारायण शर्मा
अभियोजन साक्षी सं0–02 मनोज कुमार सिंह

9. अभियोजन के उपर यह दायित्व है कि अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करे। इस परिपेक्ष्य में **साक्षी सं0–1 के रूप में प्रभु नारायण शर्मा** का परीक्षण कराया गया है जिन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में कहे हैं कि घटना पच्चीस साल पूर्व की है। उस समय मैं शाहकुंड थाना में होमगार्ड था। थाना में खबर आया कि बदमाश सब कोरंडा के पास बहियार में बैठा हुआ था। बड़ा बाबु के साथ मैं एवं अन्य दलबल घटनास्थल पर पहुॅचे तो बदमाश लोग हमलोगों को देखकर भागने लगे। रपेटा–रपेटी में चार–पॉच लोग पकड़ाया। वहॉ पर हमलोगों ने देखा कि बीड़ी–सिगरेट पड़ा हुआ था। बीड़ी सिगरेट एवं दारू का जप्ती सूची रामरेखा पांडेय उस समय के शाहकुंड थाना के थानाध्यक्ष द्वारा तैयार किया गया एवं उसपर उनका हस्ताक्षर है जिसे मैं पहचानता हूॅ, जिसे प्रदर्श 1 अंकित किया जाता है। उस जप्ती सूची की कॉपी अभियुक्तों को दिया गया कि नहीं मैं नहीं जानता लेकिन जप्ती सूची पर उन पकड़ाए पॉच अभियुक्तों का हस्ताक्षर है। एसआई रामरेखा पांडेय द्वारा सेल्फ स्टेटमेंट द्वारा ब्यान तैयार किया गया जो रामरेखा पांडेय के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानता हूॅ, जिसे प्रदर्श–2 अंकित किया जाता है। अभियुक्त को मैं नहीं पहचान सकता हूॅ क्योंकि पच्चीस साल हो गया।

10. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–2 मनोज कुमार सिंह** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि घटना करीब 25 वर्ष पूर्व की है। मैं शाहकुंड थाना में उस समय पदस्थापित था। सूचना मिली थी कि कोदंडा बहियार में अपराधीगण अपराध की योजना बना रहे थे तो बड़ा बाबु के साथ हमलोग घटनास्थल पर गए तो देखे कि अपराधीगण फायरिंग करते हुए भाग रहा था। पीछे से बड़ा बाबु लोग पीछा किए थे। घटनास्थल पर मिट्टी का ग्लास व बीड़ी–सिगरेट का टुकड़ा तथा शराब की पन्नी देखे, हमलोग वहीं पर रूक गए थे, बड़ा बाबु पीछा करते हुए आगे निकल गए थे। भागने वाले किसी अभियुक्त को नहीं पहचानता हूॅ।

11. विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य में तारतम्यता एवं बल है। एक–दूसरे के विरोधाभाषी नहीं है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों का प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान किसी ऐसे तथ्य का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जिससे साक्षियों के साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सम्पूर्ण युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित कर दिया है। अतएव,

सत्र वाद सं0– 875/2010

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

शाहकुंड थाना कांड संख्या– **100/1997**
राज्य बनाम् बादल राय व दो अन्य
निर्णय दिनांक–01.06.2026

अभियुक्तगण को आरोपित अंतर्गत धारा 399, 402, 353, 307, 149 भा0द0वि0 के तहत दोषसिद्ध किया जाय।

12. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता, ग्राहयता एवं कांड की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहे है कि वास्तविक तथ्य यह है कि अभियुक्तगण से पुलिस पदाधिकारी द्वारा अवैध धन की वसूली किए जाने की मांग किया जा रहा था। जब अभियुक्तगण ने पुलिस वालों की इच्छा के मुताबिक धन नहीं दिया गया तो पुलिस ने एक झूठा और मनगढ़त कहानी बनाकर मुकदमा कर दिया। यहीं कारण था कि अभियोजन की ओर से जो भी साक्षी न्यायालय में परीक्षित हुए है वह सभी पुलिस कर्मी है।

13. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अभियोजन साक्षी संख्या–1 प्रभु नारायण शर्मा ने अपने परीक्षण में कहा है कि मैं अभियुक्त को नहीं पहचान सकता हूँ क्योंकि पच्चीस साल हो गया तथा प्रतिपरीक्षण में कहा है कि अनुसंधानकर्ता एवं सूचक की मृत्यु हो चुकी है। साक्षी संख्या–2 मनोज कुमार सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका–3 में कहा है कि इस केस के अभियुक्तों से मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई और ना ही मैं उनको पहचानता हूँ। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का इस साक्षी के सत्यता के बारे में कहा गया है कि इस साक्षी के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है यह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अभियोजन की ओर से सूचक तथा विवेचना अधिकारी को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है जबकि अभियोजन पक्ष को सूचक तथा विवेचना अधिकारी के साक्ष्य हेतु प्रर्याप्त अवसर दिया गया।

14. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अभियोजन की ओर से घटनास्थल से जप्त प्रदर्श को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना जप्त प्रदर्श के प्रस्तुत किए प्रथम सूचना रिपोर्ट की पुष्टि नहीं होती है और घटना स्वयं संदेहास्पद हो जाती है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि विवेचनाधिकारी द्वारा आरोप पत्र में कुल दस साक्षियों का साक्ष्य का उल्लेख किया है परंतु अभियोजन की ओर से अन्य अपरीक्षित पुलिस कर्मीयों को न्यायालय में साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में शेष अपरीक्षित साक्षियों को न्यायालय में साक्ष्य हेतु क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया। इसके बारे में किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है।

15. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों ने घ ाटना के अनुरूप संपुष्ट कारक साक्ष्य न देकर विरोधाभाषी साक्ष्य दिया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य में ना तो तारतम्यता ही है और ना ही बल है। बल्कि एक दूसरे के विरोधभाषी है और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुरूप भी साक्ष्य नहीं दिए है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्व लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा–399, 402, 353, 307, 149 भा0द0वि0 के तहत संपूर्ण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अतः अभियुक्त बादल राय, पंकज मंडल तथा संजीव कुमार चौधरी को आरोपित धारा से दोषमुक्त किया जाय।

16. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन कया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा– 399, 402, 353, 307, 149 भा0द0वि0 के तहत आरोप का गठन किया गया है। अभियोजन की ओर से घटना के समर्थन में कुल दो साक्षियों को परीक्षित कराया गया है जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि अभियुक्त को नहीं पहचान सकता हूँ क्योंकि पच्चीस साल हो गया। अभियोजन साक्षी संख्या–2 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि इस केस के अभियुक्तों से मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई और ना ही मैं उनको पहचानता हूँ। अभियोजन की ओर से घटनास्थल पर से बरामद जप्त प्रदर्श को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। किन परिस्थितियों में अभियोजन की ओर से घटनास्थल से बरामद जप्त प्रदर्श को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं

सत्र वाद सं0– 875/2010
शाहकुंड थाना कांड संख्या– **100/1997**
राज्य बनाम् बादल राय व दो अन्य
निर्णय दिनांक–01.06.2026

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

किया गया है इसके बारे में अभियोजन की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। घ ाटनास्थल पर से बरामद जप्त प्रदर्श को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए जाने से घटना स्वयं संदेहास्पद हो जाती है। आरोप पत्र के मुताबिक कुल दस साक्षियों के नाम का उल्लेख किया गया है परंतु अभियोजन मात्र दो साक्षियों को ही परीक्षित कराया है। अन्य साक्षियों को अभियोजन पक्ष क्यों नहीं परीक्षित कराए है इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियोजन की ओर से जो भी साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराए है उनके भी साक्ष्य में तारसम्यता व बल नहीं है बल्कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के विरोधाभाषी है। अभियोजन की ओर से सूचक तथा विवेचनाधिकारी को साक्ष्य हेतु न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त बादल राय, पंकज मंडल तथा संजीव कुमार चौधरी के विरूद्व लगाए गए धारा–399, 402, 353, 307, 149 भा0द0वि0 के तहत संपूर्ण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अतएव अभियुक्त बादल राय, पंकज मंडल तथा संजीव कुमार चौधरी को आरोपित धारा से दोषमुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः अभियुक्त बादल राय, पंकज मंडल तथा संजीव कुमार चौधरी को आरोपित धारा 399, 402, 353, 307, 149 भा0द0वि0 से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण इस आशय का बन्ध पत्र दाखिल करेंगे कि यदि सूचक अपीलीय न्यायालय में अपील दाखिल करता है तो अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

निर्णय समाप्ति के पश्चात यह समीचीन प्रतीत होता है कि न्यायालय यह धारित करे कि मुकदमें में पीड़ित पक्ष कौन है ? अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियोजन साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन के द्वारा सूचक एवं विवेचनाधिकारी को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भागलपुर को प्रतीकर की राशि की अनुशंसा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी, भागलपुर को भेजे। तत्पश्चात्, अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लेखापित, संशोधित
एवं हस्ताक्षरित कर आज उभयपक्ष की उपस्थिति में सुनाया गया।

ह0/–
(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर
दिनांक–01.06.2026

ह0/–
(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर
दिनांक–01.06.2026